

कॉन्स्टेबल (उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा) भर्ती हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित) के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला/यूनिट/आरएसी बटालियन में कॉन्स्टेबल (सामान्य) एवं कॉन्स्टेबल पुलिस दूर संचार के जिला/यूनिटवार विज्ञापित पदों के नियमानुसार 02 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी लेवल)-2024 में सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र (online application form) आमंत्रित किए जाते हैं।

यह आवेदन पत्र Online राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई-मित्र कियोस्क, जनसुविधा केन्द्र CSC (Common Service Centre) एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पश्चात् दिनांक 12.09.2025 से 01.10.2025 तक भरे जा सकते हैं।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात् दिनांक 02.10.2025 से 04.10.2025 तक आवेदन पत्र में संशोधन/त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इससे पूर्व या पश्चात् आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित शुल्क 300/-रुपये ऑनलाइन जमा कराना होगा। आवेदित खेल/इवेंट में ही संशोधन/त्रुटि सुधार किया जा सकेगा।

आवेदक द्वारा केवल एक ही खेल/इवेंट के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

भर्ती हेतु योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या-13/2025 में वर्णित हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थाई आदेशों में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी ही पात्र माने जावेंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में चयनित अभ्यर्थियों को केवल कॉन्स्टेबल सामान्य पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति दी जाएगी।

1. आवेदन प्रक्रिया :-

1. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल <https://recruitment2.rajasthan.gov.in> पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरान्त Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Stack2 का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एक बारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी Category व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई Category की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल) का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक (Application No) दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल) का ऑनलाइन आवेदन पत्र अपनी sso ID (जिससे अभ्यर्थी ने सीईटी का आवेदन भरा) Login करके Recruitment portal के My Recruitment ऑप्शन पर Click कर प्राप्त कर सकता है। CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल) परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व sso ID को सिस्टम द्वारा CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल) के डाटा से Verify किया जायेगा। Verify हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएँ प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएँ अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। आवेदन पत्र को Final submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।

- II. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
- III. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- IV. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
- V. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का submit होना नहीं माना जायेगा।
- VI. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- VII. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Stack2 पर दिये गये Helpdesk Number या E-mail पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2922241 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्या के लिए हैल्पलाईन नम्बर 9352323625 एवं 7340557555 पर सम्पर्क करें।
- VIII. आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु रुपये 50/- संबंधित ई-मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देय होंगे, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।

नोट:-

- (1) ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन ऑनलाईन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश (instruction) का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाए कि सभी प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक मापतौल, प्रमाण पत्रों का सत्यापन/जांच एवं सम्बन्धित खेल की ट्रायल के समय साथ लाना अनिवार्य होगा।
- (2) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- (3) Online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

2. पंजीयन शुल्क-

कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.8 (3) कार्मिक/क-2/2023-04443 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन जमा करवायेंगे:-

(क)	सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु	600/-
(ख)	राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/टीएसपी	400/-

CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल) परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं है।

3. प्रवेश-पत्र :-

विभाग द्वारा अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया हेतु शारीरिक मापतौल परीक्षा, प्रमाण पत्रों का सत्यापन/जांच एवं सम्बन्धित खेल की ट्रायल के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाईन ही जारी किये जायेंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त (Download) करने हेतु sso id से login के पश्चात रिक्रूटमेन्ट पोर्टल (Recruitment portal) से

डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजी जायेगी।

4. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का प्रावधान:-

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-5(31)कार्मिक/क-2/84/15.03.13, एफ-5 (31)डीओपी/ए-ii/84 दिनांक 21.11.2019 एवं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 के नियम-7 सी के प्रावधानानुसार राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप से माना जाएगा। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पाश्चात्तर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

खेल कोटा में चयनित अभ्यर्थी का नाम जिला/यूनिट की चयनसूची में सामान्य कानि. से नीचे होगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य खेल अधिकारी, राजस्थान पुलिस, प्रशिक्षण/अभ्यास/प्रतियोगिता हेतु किसी भी स्थान पर भेज सकेंगे।

5. भर्ती हेतु रिक्त पद

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 1360 एवं 1361 दिनांक 09.04.2025 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 1762 दिनांक 12.05.2025 द्वारा कॉन्स्टेबल (सामान्य व पुलिस दूर संचार) के जिला/यूनिट स्तर पर विज्ञापित पदों के 2 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित रखे गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	जिला/ यूनिट का नाम	कानि. सामान्य नॉन टीएसपी/ टीएसपी		Total	2% for Sport person
		NTSP	TSP		
1	JAIPUR Commissionrate	674	0	674	13
2	JODHPUR Commissionrate	213	0	213	4
3	TONK	62	0	62	1
4	BHILWARA	106	0	106	2
5	BIKANER	101	0	101	2
6	CHURU	108	0	108	2
7	BHARATPUR	74	0	74	1
8	SAWAIMADHOPUR	81	0	81	1
9	BHIWARI	90	0	90	1
10	SIKAR	114	0	114	2
11	JAISALMER	194	0	194	3
12	PALI	162	0	162	3
13	JALORE	123	0	123	2
14	SIROHI	58	0	58	1
15	KOTA CITY	287	0	287	5
16	KOTA Rural	52	0	52	1
17	BARAN	66	0	66	1
18	BUNDI	53	0	53	1
19	JHALAWAR	100	0	100	2
20	UDAIPUR	389	0	389	7
21	CHITTORGARH	189	0	189	3
22	RAJSAMAND	174	0	174	3
23	GRP, AJMER	113	0	113	2
24	2 nd Bn. RAC, Kota	55	0	55	1
25	5 th Bn. RAC,	69	0	69	1
26	6 th Bn. RAC, Dholpur	68	0	68	1
27	8 th Bn. RAC, Delhi	51	0	51	1
28	9 th Bn. RAC, Tonk	51	0	51	1
29	11 th Bn. RAC, Delhi	62	0	62	1
30	12 th Bn. RAC, Delhi	79	0	79	1
31	13 th Bn. Jaipur	84	0	84	1
32	14 th Bn. Deeg	84	0	84	1
33	CID (IB) JAIPUR	79	0	79	1
34	PADMINI DEVI BN.SIKAR	501	0	501	10
35	KALI BAI BN. ALWAR	501	0	501	10
36	AMRTA DEVI BN. BARMER	501	0	501	10
37	FALODI	173	0	173	3
38	DEEDWANA KUCHAMAN	168	0	168	3
39	KOTPUTLI	256	0	256	5

40	KHERTHAL TEEJARA	61	0	61	1
41	BYAWAR	409	0	409	8
42	DEEG	57	0	57	1
43	BALOTRA	182	0	182	3
44	Police Telecommunication	1378	0	1378	27
	Total NTSP	8452	0	8452	154
45	PRATAPGARH	0	170	170	3
46	DUNGARPUR TSP	0	103	103	2
47	BANSWARA TSP	0	146	146	2
48	UDAIPUR TSP	0	89	89	1
49	SALUMBAR TSP	0	112	112	2
50	MBC, Kherwara TSP	0	98	98	1
51	MBC, Banswara TSP	0	101	101	2
	Total TSP	0	819	819	13
	GRAND TOTAL	8452	819	9271	167

जिन जिला/यूनिट में रिक्त पदों की संख्या 50 से कम है उन जिला/यूनिट में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के पद नहीं बनने से नियमानुसार पद विज्ञापित नहीं किये गये हैं। रिक्त पदों का खेलवार विवरण निम्नानुसार है:-

पदों का वर्गीकरण

नॉन टी.एस.पी. पद

क्र.सं.	खेल का नाम	पोजीशन/इवेंट	कॉन्स्टेबल		
			पुरुष	महिला	योग
01	कबड्डी	Raider	02	02	04
		Cover	01	01	02
		Corners	02	01	03
		All rounder	00	02	02
		Total	05	06	11
02	वॉलीबाल	Attacker	02	02	04
		Blocker	01	01	02
		Universal	01	01	02
		Total	04	04	08
03	बास्केटबाल	Point Guard	01	0	01
		Shooting Guard	01	02	03
		Power forward	02	02	04
		Centre	02	02	04
		Total	06	06	12
04	फुटबाल	Striker	02	00	02
		Defender	02	00	02
		Total	04	00	04
05	हॉकी	Goal Keeper	01	02	03
		Defender	02	02	04
		Midfielder	04	04	08
		Forward	03	04	07
		Total	10	12	22
06	तीरंदाजी	Compound	01	01	02
		Recurve	01	01	02
		Indian Round	02	02	04
		Total	04	04	08
07	शूटिंग	Air Rifle 10 Mtr.	00	01	01
		Rifle Prone 50 Mtr.	03	03	06
		Rifle 3 Position 50 Mtr.	03	03	06
		Air Pistol 10 Mtr.	00	02	02
		.22 Rapid Fire Pistol 25 Mtr.	03	00	03
		Total	09	09	18
08	एथलेटिक्स	400 Mtr. Run	00	01	01
		400 Mtr. X4 Rellay	04	00	04
		800 Mtr. Run	01	00	01
		1500 Mtr. Run	01	01	02
		5000 Mtr. Run	00	01	01
		10000 Mtr. Run	00	01	01
		3000 Mtr. Steeple Chase	01	01	02
		20 K.M. Walk	01	00	01
		10 K.M. Walk	00	01	01
		Decathlon	01	0	01

		Heptathlon	00	01	01
		Long Jump	01	00	01
		High Jump	01	00	01
		Discus Throw	00	01	01
		Hammer Throw	01	01	02
		Javelin throw	01	0	01
		Total	13	09	22
09	जूडो	Individual Games	02	02	04
10	जिम्नास्टिक	Individual Games	04	02	06
11	कुश्ती	Individual Games	07	05	12
12	भारोतोलन	Individual Games	02	02	04
13	बॉक्सिंग	Individual Games	06	05	11
14	साइकिलिंग	Road Event	00	03	03
15	स्वीमिंग	Individual Games	01	03	04
16	क्रॉसकन्ट्री	Cross-Country 10 K.M.	02	03	05
		Grand Total	79	75	154

टी.एस.पी. पद

क्र.सं.	खेल का नाम	पोजीशन / इवेंट	कॉन्स्टेबल		
			पुरुष	महिला	योग
01	तीरंदाजी	Compound	01	01	02
		Recurve	01	01	02
		Indian Round	01	01	02
		Total	03	03	06
	हॉकी	Defender	00	01	01
		Midfielder	00	01	01
		Forward	00	01	01
		Total	00	03	03
	स्वीमिंग	Individual Games	01	01	02
	बॉक्सिंग	Individual Games	01	00	01
	क्रॉसकन्ट्री	Cross-Country 10 K.M.	01	00	01
		Grand Total	06	07	13

6. उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत:-

कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5(31)डीओपी/ए-2/84 दिनांक 21.11.19 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जिन्होंने:-

- (i) नीचे वर्णित सारिणी के स्तम्भ संख्यांक-2 में उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित अनुसूची के स्तम्भ संख्यांक-3 में उल्लेखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो:-

सारिणी

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट / चैम्पियनशिप का नाम
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्म कालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स, जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंग (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंग	विश्वकप / विश्व चैम्पियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से सम्बद्ध एशियन खेल परिसंग	एशियन चैम्पियनशिप

या

- (ii) अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंग (आई.एस.एस.एफ.) द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप तथा एशियन स्कूल खेल परिसंग (ए.एस.एस.एफ.) द्वारा आयोजित एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

- (iii) स्कूल गेम्स फ़ेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेल-कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

- (iv) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फ़ेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

- (v) एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इन्टर यूनिवर्सिटी के किसी खेल कूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।



- या
- (vi) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं जैसे-ग्रीष्म कालीन ऑलम्पिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सैफ गेम्स में भाग लेने वाले तथा इन्टरनेशनल ओलम्पिक कमिटी (IOC) से सम्बद्ध इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स फ़ेडरेशन द्वारा आयोजित विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल स्तर में भाग लेने वाले खिलाड़ी।

7. भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट:-

(i) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कॉन्स्टेबल उत्कृष्ट खिलाड़ी)

जिला/यूनिट	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जिला पुलिस/इन्टेलीजेन्स/आरएसी/एमबीसी	मान्यता प्राप्त स्कूल/शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
पुलिस दूरसंचार	मान्यता प्राप्त स्कूल/शिक्षा बोर्ड से भौतिकी विज्ञान और गणित/कम्प्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सैकण्डरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(ii) आयु सीमा-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-2(1)डीओपी/ए-2/03/दिनांक 17.05.2018 के अनुसार आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 को आधार मानकर की गई है। राज्य सरकार, कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना एफ.7(2)कार्मिक/क-2/1984/पार्ट दिनांक 12.06.2023 के अनुसरण में ऊपरी आयु की गणना निम्नानुसार की जायेगी :-

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
सामान्य	01.01.2008	02.01.2002	02.01.1997
ई.डब्ल्यू.एस./एस.सी./एस.टी./बी.सी./ एम.बी.सी	01.01.2008	02.01.1997	02.01.1992
राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित	01.01.2008	02.01.1999	02.01.1994
भूतपूर्व सैनिक	01.01.2008	02.01.1983	02.01.1983

(iii) शारीरिक मापदण्ड-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:-

मापदण्ड	विवरण	
	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.
न्यूनतम सीना (केवल पुरुषों के लिए)	बिना फुलाए-81 से.मी. फुलाने पर-86 से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
न्यूनतम वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.

नोट-

- यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ही उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से.मी. की छूट देय होगी।
- पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14(2) के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।
- समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 से.मी. एवं वजन 47.5 कि.ग्रा. में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

(iv) चिकित्सकीय मापदण्ड

- कार्मिक विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश क्रमांक एफ.2(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 13.03.2020 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि J1(बेहतर आँख) और J2(बदतर आँख) होनी चाहिए। चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आँखों की न्यूनतम दृष्टि 6X6 (बेहतर आँख) तथा 6X9 (बदतर आँख) होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसें फूली हुई होना (varicose veins), भँगापन (squint), रतौंधी (night blindness), रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) हरनिया (Hernia) शल्य प्रोबलम (surgical problems)-या अन्य कोई विकृति/अंग-भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

२

8. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :-

- (i) किसी भी ऐसे पुरुष/महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (ii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01-06-2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्व प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/95/पार्ट-2 दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम संतान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नहीं माना जायेगा।
- (iii) चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
- (iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।
स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)
- (v) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्वित (debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्वित (debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
- (vi) आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 एवं अधिसूचना क्रमांक प. 2(2)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 02.03.2020 में वर्णित निर्देशों के अनुसार एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के निर्णय उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी आवेदक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है, तो ऑनलाईन आवेदन पत्र में चरित्र सत्यापन हेतु दिये गये कॉलम में आपराधिक प्रकरण का उल्लेख अवश्य करें। प्रकरण कभी भी दर्ज हुआ हो तथा उसका किसी भी तरह से निस्तारण यथा-अनुसंधान में दोषी नहीं पाया गया, राजीनामा, सन्देह का लाभ, साक्ष्य का अभाव इत्यादि से बरी हुआ है तो भी उसका स्पष्ट उल्लेख करें।
- (vii) लिखित परीक्षा/शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा हेतु ई-प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त (Download) करने हेतु sso id से login के पश्चात रिक्रूटमेन्ट पोर्टल (Recruitment portal) से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजी जायेगी।

9. आवश्यक खेल प्रमाण पत्र:-

अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में से विभाग की आवश्यकतानुसार उपरोक्त खेलों के खिलाड़ियों के, नीचे अंकित खेल संस्थाओं द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे:-

1. इन्टरनेशनल ओलम्पिक कमेटी (IOC)
2. ओलम्पिक कॉउन्सिल ऑफ एशिया (OCA)
3. इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (IOC से सम्बद्ध)
4. कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (CGF)
5. एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन (OCA से सम्बद्ध)
6. साउथ एशियन ओलम्पिक कॉउन्सिल (SAOC)
7. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन (IOA)
8. नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (IOA से सम्बद्ध)
9. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज (AIU)
10. इन्टरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ISSF)
11. एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ASSF)
12. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (SGFI)

10. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया-

खेल कोटा के अन्तर्गत कॉस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 7(सी) के प्रावधान तथा इस कार्यालय के स्थाई आदेश संख्या-13/2025 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया के 100 अंक होंगे जो 03 चरणों में आयोजित होगी- खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन, शारीरिक मापतौल एवं ट्रायल। खेल प्रमाण पत्र के 70 अंक तथा ट्रायल के 30 अंक होंगे।

(अ) खेल प्रमाण पत्र (70 अंक):-

- (i) जिन खेलों की प्रतियोगिता प्रति वर्ष आयोजित होती है उनके खेल प्रमाण पत्र 03 वर्ष तक मान्य होंगे एवं जिन खेलों की प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित नहीं होती है, उनके खेल प्रमाण पत्र 05 वर्ष तक मान्य होंगे। खेल प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने की तिथि से 03 वर्ष/05 वर्ष पूर्व के नहीं होने चाहिए।
- (ii) खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करते समय सर्वाधिक weightage वाले केवल एक ही प्रमाण पत्र के लिए अंक प्रदान किये जाएंगे।
- (iii) आवेदन पत्र के साथ खेल प्रमाण पत्र अपलोड करते समय अभ्यर्थी यह विशेष ध्यान रखें कि मूल खेल प्रमाण पत्र से ही स्कैन कर इमेज अपलोड की जाए, न कि फोटो कॉपी से।

S.N	Certificate	Position	Marks
1-	(A) Won medal in Individual or Team Event/ Represented country in Olympic Games (Summer)/ Asian Games/ Commonwealth Games. (B) Won medal in Individual or Team Event/ Represented country in final stage of World Cup/ World Championship organized by International Sports Federation affiliated with International Olympic Committee (IOC)	1 st Position	70
		2 st Position	67
		3 st Position	64
		Any Other	61
2-	Won medal in Individual or Team Event/ Represented country in Asian Championship/ SAF Games.	1 st Position	58
		2 st Position	55
		3 st Position	52
		Any Other	49
3-	Won medal in individual or Team Event in International School Championship/ Asian School Championship/ National games/ Senior national Championship/ Open National Athletic Championship/ National Inter State Senior Athletic Championship/ Federation Cup/ National Senior Championship/ National Cross Country Championship games	1 st Position	46
		2 st Position	43
		3 st Position	40
4-	Won medal in individual or Team Event in youth national games/youth National Championship/Junior national Championship	1 st Position	34
		2 st Position	31
		3 st Position	28
5-	Medal winner in The Individual or Team Event in National School games/ All India Inter University Games.	1 st Position	25
		2 st Position	22
		3 st Position	19

(ब) शारीरिक मापतौल (Physical Standard Test/PST)-

अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14 में वर्णितानुसार शारीरिक माप-तौल (PST) की जाएगी। नियमानुसार गठित चयन बोर्ड द्वारा शारीरिक माप-तौल में योग्य पाए गये अभ्यर्थियों की ट्रायल ली जाएगी। चयन बोर्ड PST में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत कराएगा तथा हस्ताक्षर करायेंगा। अभ्यर्थियों की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड तथा राजकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर मय सील होगी।

अपील-शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रुपये 500/- शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। अपील की क्रियान्विति के लिए भर्ती बोर्ड के सहायतार्थ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जावेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवं चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होंगे। स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराएगा जिसमें एक महिला फिजिशियन, एक सर्जन एवं एक हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक होगा। अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन भर्ती बोर्ड द्वारा मेडिकल बोर्ड की सहायता से मापतौल कराई जायेगी तथा वह मापतौल ही अन्तिम मानी जाएगी। बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ट होगा जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तथा उसके हस्ताक्षर लेंगे।

शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relaxation) एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass without Relaxation) अंकित होगा।

नोट- अपील के सम्बन्ध में चयन बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(स) ट्रायल (30 अंक)

ट्रायल के लिए उपयुक्त पाये गये प्रत्येक अभ्यर्थी की चयन बोर्ड द्वारा सम्बंधित खेल की ट्रायल ली जायेगी। चयन बोर्ड व ट्रायल कमेटी द्वारा ट्रायल के दौरान खिलाड़ी की तकनीक, दक्षता इत्यादि का आंकलन किया जायेगा।

(i) व्यक्तिगत स्पर्धा:-

जिन व्यक्तिगत स्पर्धाओं में प्रदर्शन का आंकलन समय/दूरी/वजन/अंक/स्कोर के आधार पर किया जाता है, उन व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गत अखिल भारतीय पुलिस खेलों के तृतीय स्थान के प्रदर्शन के बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी ही आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किये जायेंगे।

व्यक्तिगत स्पर्धाओं की ट्रायल में खिलाड़ियों को निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेंगे:-

स्थान	अंक
प्रथम	30
द्वितीय	28
तृतीय	26

तीसरे स्थान के पश्चात नीचे आने वाले प्रत्येक स्थान के लिए 2 अंक कम किये जायेंगे।

नोट:-यदि किसी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में एक ही अभ्यर्थी है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की खेल विशेष की दक्षता के आंकलन हेतु चयन बोर्ड किसी बाहर के खिलाड़ी को बुलाकर उससे स्पर्धा करा सकेगा।

(ii) टीम स्पर्धा:-

चयन बोर्ड द्वारा ट्रायल कमेटी की मदद से सम्बंधित खेल के नेशनल स्पोर्ट्स फैंडरेशन के मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी की ट्रायल ली जायेगी।

अभ्यर्थी को व्यक्तिगत स्पर्धा/टीम स्पर्धा में ट्रायल के लिए निर्धारित 30 अंक में से कम से कम 15 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

चयन प्रक्रिया के दौरान 100 अंकों में से कम से कम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 40 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।

(द) स्वास्थ्य परीक्षण-

चयन सूची की घोषणा के बाद उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना होगा। उम्मीदवार जो अस्थायी रूप से अयोग्य पाए जाते हैं और जिनके दोष को चिकित्सा अधिकारी की राय के अनुसार 6 महीने के भीतर ठीक किया जा सकता है, उक्त अवधि के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाये जाते हैं। जो उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर पुनः परीक्षण के बाद भी चिकित्सा फिटनेस के निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील-उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

(य) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन-

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग एवं खेल प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बंधित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

11. मेरिट सूची एवं पदों का आवंटन:-

चयन प्रक्रिया के दौरान खेल प्रमाण पत्र का मूल्यांकन एवं ट्रायल के कुल 100 अंकों में से प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की खेल वाईज मेरिट सूची तैयार की जायेगी। व्यक्तिगत स्पर्धा की किसी विशेष वेट कटेगरी/अन्य कटेगरी में प्राप्त स्थान के आधार पर चयन नहीं किया जायेगा, बल्कि खेल वाईज मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।

छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा अंक अधिक प्राप्त करने पर भी, मेरिट सूची में छूट प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों से नीचे रखा जायेगा।

ट्रायल समाप्ति के तुरन्त पश्चात चयन बोर्ड अभ्यर्थियों से उन्हें जिला/यूनिट आवंटन हेतु काउन्सिलिंग के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त करेगा। संयुक्त मेरिट सूची व प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियों को जिला/यूनिट आवंटन में पुलिस महानिदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

12. वेतनमान और भत्ते—

नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/-रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन्स्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला एल-5 (Pay matrix-Level-5) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

13-प्रमाण पत्र—

अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल, प्रमाण पत्रों का सत्यापन/जांच एवं सम्बन्धित खेल की ट्रायल के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व-प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे—

- (i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
- (ii) आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
- (iii) सम्बन्धित खेल का प्रमाण पत्र।
- (iv) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।
- (v) अभ्यर्थी यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (vi) अभ्यर्थी यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गये मृतक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण-पत्र।
- (vii) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- (viii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी/डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/पेंशनर प्रमाण पत्र।
- (ix) टीएसपी क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
- (x) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-II/2019 दिनांक 20.10.2019 के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2024-25 की आय का ऑन लाईन जारी प्रमाण पत्र।
- (xi) अभ्यर्थी से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5सेमी.) रंगीन फोटो।
- (xii) विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय आदेश/डिक्री भर्ती हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
- (xiii) अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
- (xiv) राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजियन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

14. महत्वपूर्ण निर्देश

- (i) आवेदन-पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन-पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।
- (ii) निरस्त किए गये आवेदन-पत्रों के शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।
- (iii) राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।
- (iv) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- (v) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
- (vi) अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- (vii) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वन्धित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।
- (viii) अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 यथा संशोधित के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (ix) अन्तिम रूप से चयन उपरान्त अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या-13 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

९

- (x) भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित स्थाई आदेश संख्या-13/2025 एवं विज्ञप्ति विभाग की वेबसाइट <http://recruitment2.rajasthan.gov.in> एवं www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सूचना भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- (xi) आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या के समाधान हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाईन नम्बर 7340557555, 9352323625 and email id- recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

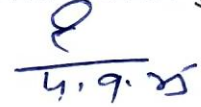
भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में भी ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेंगे। इसी प्रकार नियमों, परिपत्रों में संशोधन (amendments) भी लागू होंगे।



(बिपिन कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. समस्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर/आसूचना, जयपुर एवं प्रशासन एवं पीआरसी, सीआईडी सीबी, पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. मय आई.आर./एम.बी.सी./हाडीरानी महिला बंटालियन।
9. समस्त प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान।
11. संयुक्त निदेशक(प्रचार), सी.आई.डी.(सी.बी.), राजस्थान।
12. निदेशक, समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान।
13. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान।
14. समस्त जिला खेल अधिकारी, राजस्थान।
15. प्रभारी, राजस्थान पुलिस वेबसाइट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि इसे तत्काल राजस्थान पुलिस वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।



अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड,
राजस्थान, जयपुर।